संख्या– 91 /XV–1/1(48)/2007

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, गोपेश्वर, चमोली।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 11 फरवरी, 2008

विषयः– पशुचिकित्सालयों पर शल्य चिकित्सा सुविधा।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1184/नि0/शल्य चिकित्सा/2007–08 दिनांक 20 दिसम्बर, 2007 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में पशुचिकित्सालयों पर शल्य चिकित्सा सुविधा योजनान्तर्गत शल्य कक्ष के निर्माण हेतु गठित आगणनों के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित औचित्यपूर्ण धनराशि रुपया 108.53 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में प्रथम अनुपूरक मांग से प्राविधानित धनराशि रुपया 73.50 लाख एवं उपकरणों आदि के कय हेतु रुपया 86.50 लाख कुल रुपया 160.00 लाख **(रुपया एक करोड़ साठ लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के संलग्नानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन पर प्रादिष्ठ किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(2) सामग्री का कय वित्त हस्तपुस्तिका में उल्लिखित निर्देशों, कय सम्बन्धी शासनादेशों व स्टोर परचेज रुल्स के अन्तर्गत किया जायेगा, जहां कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(3) शल्य कक्ष के निर्माण हेतु जारी वित्तीय स्वीकृति की जनपदवार फॉट संलग्न विवरण में की गई है। उपकरणों आदि के कय हेतु निर्गत स्वीकृति की जनपदवार फॉट शासन को सूचित किया जाय।

(4) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति में नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(5) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(6) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(7) एक मुश्त प्राविधान में कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(8) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(9) कार्य कराने से पूर्व स्थल की भली–भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें एवं निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरुप ही कार्य किया जाये।

(10) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय तथा एक मद की राशि दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(11) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(12) जी0पी0डब्ल्यू0 फार्म–9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

(13) स्वीकृत निर्माण कार्यों को तत्काल प्रारम्भ किया जाय ताकि आगणनों को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पडे, निर्माण कार्य विलम्ब से प्रारम्भ करने के परिणामस्वरुप लागत में वृद्धि होती है, तो शासन स्तर से आगणनों को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति नियमित रुप से शासन को उपलब्ध करायी जाय।

3– स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय–00–आयोजनागत–101 –पशुचिकित्सा सम्बन्धी सेवायें तथा पशुस्वास्थ्य–08–पशुचिकित्सालयों पर शल्य चिकित्सा आदि की सुविधा (राज्य सैक्टर योजना)–42–अन्य व्यय के अर्न्तगत रुपया 86.50 लाख एवं लेखाशीर्षक–4403–पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय–00–आयोजनागत–101– पशुचिकित्सा सम्बन्धी सेवायें तथा पशुस्वास्थ्य–07–पशुचिकित्सालयों पर शल्य चिकित्सा आदि की सुविधा (राज्य सैक्टर योजना)–42–अन्य व्यय के अन्तर्गत रुपया 73.50 लाख के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या– 431(P)/XXVII/ 2007 दिनांक 07 फरवरी, 2008 के कम में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या– 91 (1)/XV–1/2007–तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त को प्रमुख सचिव एवं आयुक्त महोदया के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून, पिथौरागढ़, चम्पावत, हरिद्वार, उधमसिंहनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तराखण्ड।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
11. वित्त, अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
12. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या– 91 /XV–1/1(48)/2007 दिनांक 11 फरवरी, 2008 का संलग्नक

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	प्रस्तावित कार्य का नाम	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित धनराशि	जारी वित्तीय स्वीकृति	कार्यदायी संस्था
4403–पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय–101–पशुचिकित्सा सम्बन्धी सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य 07–पशुचिकित्सालयों पर शल्य चिकित्सा आदि की सुविधा–42–अन्य व्यय				
1.	पशुचिकित्सालय, विकासनगर, देहरादून में शल्य चिकित्सा कक्ष का निर्माण	27.18	22.79	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
2.	पशुचिकित्सालय, बहादराबाद, हरिद्वार में शल्य चिकित्सा कक्ष का निर्माण	30.48	27.20	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
3.	पशुचिकित्सालय, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर में शल्य चिकित्सा कक्ष का निर्माण	20.57	13.51	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
4.	पशुचिकित्सालय, टनकपुर, चम्पावत में शल्य चिकित्सा कक्ष का निर्माण	14.61	5.00	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
5.	पशुचिकित्सालय, पिथौरागढ़ में शल्य चिकित्सा कक्ष का निर्माण	15.69	5.00	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
	कुल योग :–	108.53	73.50	
	(रुपया तिहत्तर लाख पचास हजार मात्र)			
2403–पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय–101–पशुचिकित्सा सम्बन्धी सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य 08–पशुचिकित्सालयों पर शल्य चिकित्सा आदि की सुविधा–42–अन्य व्यय				
1.	उपकरण आदि के क्रय हेतु	86.50		
	(रुपया छियासी लाख पचास हजार मात्र)			
	महायोग :–		160.00	

(रुपया एक करोड़ साठ लाख मात्र)

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।